महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास विभाग
हरियाणा सरकार

आँगनवाड़ी कार्यकत्री के लिये
महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से

महिला एवं बाल विकास निदेशालय हरियाणा
द्वारा संचालित एलआईसी की

आँगनवाड़ी कार्यकत्री बीमा योजना

LIC

आँगनवाड़ी कार्यकत्री/हैल्परों के लिये एक अनोखी सामूहिक बीमा योजना

आँगनवाड़ी कार्यकत्री/हैल्पर देश के कई बच्चों के चेहरे पर मुस्कान खिलाती है और हर दिन भारत के भावी भविष्य की प्यार व दुलार के साथ के साथ देखभाल करती है।

भारतीय जीवन बीमा निगम, महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से खास इन लोगों के लिये "**आँगनवाड़ी कार्यकत्री बीमा योजना**" का संचालन करती है।

योग्यता की शर्तें

- आयु 18 से 59 के बीच में हो।
- आँगनवाड़ी कार्यकत्री/सहायिका होनी चाहिये।

लाभ

(15.8.2006 से प्रभावी)रुपये

प्राकृतिक मृत्यु	30,000
दुर्घटना मृत्यु/संपूर्णस्थाई अपंगता	75,000
आंशिक स्थाई अपंगता	37,500
महिला गंभीर बीमारी लाभ	20,000

नीचे बताये गये अंगों में (संतोषजनक प्रमाण के अधीन) कैंसर (प्राणघातक टयूमर) के स्पष्ट लक्षण नजर आने पर रु0 20,000 की राशि अदा की जायेगी:

1. छाती
2. सरेविक्स यूटेरी
3. कौपर्स यूटेरी
4. अंडाशय
5. फालोपियन टयूटस
6. योनि/वूल्वा

प्राणघातक टयूमर यानि प्राणघातक कोशिकाओं का अनियत्रित रुप से बढ़ना और फैलना ओर आक्रमणकारी उतकों का उपर बताए गए शारीरिक अंगों में पनपना।

जीवित अवधि :

ऊपर बताए अनुसार लाभ का दावा करने के लिए बीमित व्यक्ति को गंभीर बीमारी के पहली बार पता चलने की तारीख से कम से 2 महीने तक जीवित रहना होगा। हालांकि निम्न स्थितियों में ये अपवाद है:–

1. वे सभी टयूमर्स जिनकी व्याख्या हिस्टोलॉजिकल्ली बतौर पूर्व–प्राणघातक होगी।
2. वे सभी टयूमर्स जिनकी व्याख्या हिस्टोलाजिकल्ली बतौर सि.टू. में कार्सिनोमा होगी।
3. सेरविक्स का डिस्प्लेसिया (CIN I, CIN II, CIN III)

प्रीमियम	रुपये
महिला और बाल विकास मंत्रालय	100
सामाजिक सुरक्षा फंड एल.आई.सी.द्वारा संचालित	100

- गंभीर बीमारी राइडर के लिए 31.3.2011 तक कोई प्रीमियम नहीं लिया जायेगा।
- दावों के अनुभव के आधार पर निगम इस पॉलिसी की दरों, अवधि, स्थिति और प्रावधानों में परिवर्तन कर सकती है।

नोडल एजेंसी

- राज्य सरकार/यू.टी. एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देश अनुसार डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आफिसर (DPO), चाइल्ड डवलपमेंट प्रोजेक्ट आफिसर (CDPO), इंटीग्रेटेड चाइड डेवलपमेंट सर्विसेज (ICDS) बतौर नोडल एजेंसी काम करेंगी।
- नोडल एजेंसी बीमित व्यक्तियों के लिए योजना से सम्बंधित सभी मुददों पर काम करेंगी।

सदस्यता

- सभी आँगनवाड़ी कार्यकत्री/ सहायिका 1.4.2007 से प्रभावी इस योजना के तहत बीमित किए जाएंगे। इसके लिए कोई फार्म भरने की जरुरत नहीं। ये विशेष वितरण 31.3.2011 तक ही है।

दावे की प्रक्रिया

- दावे की प्रकिया बहुत ही आसान है। मृतक के लाभार्थी को मूल मृत्यु प्रमाण–पत्र नोडल एजेंसी के पास जमा कराना होगा, जिसे नोडल एजेंसी दावे के लिए एल.आई.सी. पी. एण्ड जी. एस. के पास भेज देगी। एल.आई.सी.लाभार्थी को अकाउंट पेयी चेक द्वारा दावे का भुगतान करेगी।
- दुर्घटना द्वारा मृत्यु की स्थिति में मूल मृत्यु प्रमाण–पत्र के अलावा पुलिस जांच रिपोर्ट, पोस्ट मॉर्ट्रम रिपोर्ट भी चाहिए।
- अपंगता हित लाभ का दावा करने के लिए, दुर्घटना का दस्तावेजी प्रमाण–पत्र और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा मेडिकल प्रमाण पत्र, जिसमें दुर्घटना के कारण इस योजना के तहत बीमित व्यक्ति के हाथ/पैर की हानि के बारे में संपूर्ण/आंशिक अपंगता को प्रमाणित किया गया होगा, को भी जोडा जाना चाहिए।
- गंभीर बीमारी के लिए उचित मेडिकल प्रोक्टिशनर की रिपोर्ट और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट जैसी डायग्नॉस्टिक रिपोर्ट्स, अटेंडिग फिजिशयन की रिपोर्ट और ऑकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट और/या समय–2 पर निगम द्वारा बताए गए कोई भी टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए।

शिक्षा सहयोग योजना

- योजना के तहत बीमित सदस्यों के बच्चों के लिए एक मुफत ऐड–ऑन– छात्रवृत्ति लाभ उपलब्ध है जहां 9वीं से 12वीं कक्षा (आई.टी. आई. कोर्सिज भी शामिल) के विद्यार्थियों के प्रति
- छः माही रु0 600/– की छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- ये छात्रवृत्ति प्रति परिवार के दो बच्चों तक सीमित है।
- ऐसे विद्यार्थियों की पहचान नोडल एजेंसी करेगी।
- बीमित सदस्य जिनके बच्चे इस छात्रवृत्ति के लिए योग्य होगें उन्हें एक आवेदन पत्र भरकर नोडल एजेंसी के पास जमा कराना होगा। नोडल एजेंसी ऐसे लाभार्थी विद्यार्थियों की सूचि सम्बंधित पी एण्ड जी एस युनिट को संपूर्ण विवरण के साथ जमा कराएगी जिसमें विधार्थी का नाम, सदस्य का नाम, मास्टर पॉलिसी नंबर, सदस्यता नंबर जैसी बातें शामिल होंगी।
- हर छः महीने में एल आई सी एक अकाउंट पेयी चेक नोडल एजेंसी को विद्यार्थियों के नाम की सूचि के साथ देगी। इस रकम को नोडल एजेंसी योग्य विद्यार्थियों को भुगतान करेगी। अगली तिमाही के लिए छात्रवृत्ति के लिए दावा करने से पहले छात्रवृत्ति के इस्तेमाल संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- यह प्रासपैक्टस नहीं है, यह बस प्रमुख विशेषताओं का सारांश मात्र है। अधिक जानकारी और शर्तो के लिए कृपया भारतीय जीवन बीमा निगम की नजदीकी पी. एण्ड जी. एस. युनिट से संपर्क करें।

आप हमें टोल-फ्री नंबर
1800-22-4077
पर या जिला कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क करें।

महिला एवं बाल विकास निदेशालय हरियाणा
सेक्टर 4, पंचकूला, हरियाणा